न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 60/2019 राजस्व वाद

01. श्रीमती शंकरी देवी पत्नी श्री मांगू रेबारी आयु वयस्क निवासी– लालरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीया

बनाम

01.छीतर गुर्जर पुत्र श्री दल्लागुर्जर आयु वयस्क निवासी–लालरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
03. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक

——प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन आराजियात

वादीया की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन, एडवोकेट और प्रतिवादीगण अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 01/01/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **शून्य** को दी जायें।

सरहद लालरी पटवार हल्का लादुवास–द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 340 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 341 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 342 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 343 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 392 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 05 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा है मे वादीया एंव प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

(1)खातेदार के नाम —शंकरी देवी पत्नि मांगु रेबारी सा0 लालरी खातेदार के नाम

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	340/1	0.5433
2.	342/1	**0.4243**
3.	343	0.2150
योग	किता 03	1.1826 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम– भंवर पुत्र श्री छीतर गुर्जर सा. लालरी खातेदार प्रतिवादी के हिस्से की भूमि दानपत्र से –

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	340/2	1.0435
2.	392	**0.1391**
योग	किता 02	1.1826 हैक्टयर

(3) खातेदार का नाम– भंवर पुत्र श्री छीतर गुर्जर 1/2 , शंकरी पत्नी श्री मांगू रेबारी 1/2 सा. लालरी खातेदार प्रतिवादी के हिस्से की भूमि दानपत्र से –

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	340/3	0.0446

उपखण्ड अधिकारी एवं ... कलक्टर करेड़ा

संख्या 01 एक के नाम पर दर्ज है। उक्त आराजियात मे वादीया पक्ष ...

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	340/2	1.0435
2.	392	0.1391
योग	किता 02	1.1826 हैक्टयर

(3) खातेदार का नाम– भंवर पुत्र श्री छीतर गुर्जर 1/2 , शंकरी पत्नी श्री मांगू रेबारी 1/2 सा. लालरी खातेदार प्रतिवादी के हिस्से की भूमि दानपत्र से –

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	340/3	0.0446
2.	341	0.0632
3.	342/2	0.0057
योग	किता 03	

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 60 / 2019 राजस्व वाद

01. श्रीमती शंकरी देवी पत्नी श्री मांगू रेवारी आयु वयस्क निवासी— लालरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीया

बनाम

01. छीतर गुर्जर पुत्र श्री दल्लागुर्जर आयु वयस्क निवासी—लालरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
03. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक

——प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :—

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादीया
2. एकपक्षीय— — प्र.सं. 1
3. पेरोकार सरकार ——प्रति.सं. 2

:: निर्णय :: दिनांक— 01 / 08 / 2025

वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद लालरी पटवार हल्का लादुवास—द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीया का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। प्रतिवादीगण के वाद तामिल उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

आदेश

सरहद लालरी पटवार हल्का लादुवास—द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 340 रकवा 06 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 341 रकवा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 342 रकवा 01 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 343 रकवा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 392 रकवा 11 बिस्वा कुल किता 05 रकवा 09 बीघा 16 बिस्वा है मे वादीया एंव प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :—

(1)खातेदार के नाम —शंकरी देवी पत्नि मांगु रेवारी सा0 लालरी खातेदार के नाम

सं.	आराजी नम्बर	रकवा (हैक्टयर मे)
	340 / 1	0.5433
	342 / 1	0.4243
	343	0.2150
ा	किता 03	1.1826 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम— भंवर पुत्र श्री छीतर गुर्जर सा. लालरी खातेदार प्रतिवादी के हिस्से की भूमि पत्र से —

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़

क.स.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	340/2	1.0435
2.	392	0.1391
योग	किता 02	1.1826 हैक्टयर

(3) खातेदार का नाम– भंवर पुत्र श्री छीतर गुर्जर 1/2 , शंकरी पत्नी श्री मांगू रेबारी 1/2 सा. लालरी खातेदार प्रतिवादी के हिस्से की भूमि दानपत्र से –

क.स.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	340/3	0.0446
2.	341	0.0632
3.	342/2	0.0057
योग	किता 03	

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)